

## कृषि वानिकी सब मिशन आवेदन प्रपत्र

उप निदेशक कृषि (वि०),  
जिलापरिषद.....

आवेदक का  
फोटो

विषय :- कृषि वानिकी सब मिशन अन्तर्गत अनुदान/सहायता प्राप्त करने हेतु।  
महोदय,

मैं वानिकी विकास हेतु कृषि वानिकी सब मिशन के तहत अनुदानित/सहायता आधारित कार्यक्रम लेना चाहता हूँ। विवरण निम्न प्रकार है—

1. कृषक/संस्था/आवेदक का नाम:.....
2. पिता का नाम: .....
3. कृषक श्रेणी (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./सामान्य):.....
4. पूर्ण पता: ग्राम.....ग्राम पंचायत.....  
तहसील.....जिला.....
5. दूरभाष नम्बर.....मोबाईल नम्बर.....
6. आधार न० .....भामाशाह न० .....
7. बैंक का नाम ..... शाखा का नाम .....
8. बैंक खाता सं. ....आईएफएससी कोड .....
9. संस्था का प्रकार, यदि लागू है (सरकारी/पंजीकृत):.....
10. कार्यक्रम का नाम जो लेना है:.....
11. आवेदक/कृषक के नाम कुल भूमि(हैक्टर):.....
12. खसरा नम्बर जिसमें कार्यक्रम/गतिविधि लेनी है:.....क्षेत्रफल (है.).....
13. सिंचाई का साधन: .....डीजल इंजन/मोटर हॉर्स पावर:.....
14. मिट्टी व पानी की जाँच रिपोर्ट: (यदि आवश्यक हो तो):.....

मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त सूचना सही है। योजना अन्तर्गत उक्त कार्यक्रम की कृषक हिस्सा राशि मैं स्वयं वहन करूंगा व कार्यक्रम/गतिविधि किसी अन्य को हस्तान्तरित या बेचना नहीं करूंगा। मैं यह सत्यापित करता हूँ की मैंने इस कार्यक्रम के लिये किसी अन्य संस्था या योजना से सहायता प्राप्त नहीं की है।

दिनांक:

हस्ताक्षर कृषक/संस्था प्रभारी

राजस्थान सरकार

कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर

क्रमांक एफ 5(4) कृ.प्र./ए.फो./2017-18/ 7780-7922  
समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  
जिला परिषद.....

दिनांक- 16/10/17

विषय:- कृषि वानिकी सब मिशन (SMAF) वर्ष 2017-18 के क्रियान्वयन हेतु  
दिशा-निर्देश भिजवाने बाबत।

राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन (NMSA) के तहत कृषि वानिकी सब मिशन (SMAF) राज्य में वर्ष 2017-18 से लागू किया गया है। मिशन के अन्तर्गत कृषि भूमि पर वृक्षारोपण से कृषि आय को बढ़ाना है, मृदा में जैविक तत्वों की वृद्धि की जानी है तथा गुणवत्ता युक्त रोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने जैसी मुख्य गतिविधियां सम्मिलित है।

कृषि वानिकी सब मिशन (SMAF) के अन्तर्गत सम्मिलित गतिविधियों/घटकों के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2017-18 के दिशा-निर्देश एवं भौतिक व वित्तीय लक्ष्य संलग्न कर भिजवाये जा रहे है। कृपया संलग्न दिशा-निर्देशानुसार कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कराते हुये मासिक प्रगति से आयुक्तालय को सूचित कराया जाना सुनिश्चित करावे।

संलग्न: दिशा-निर्देश व लक्ष्य

(विकास सीतारामजी भाले)

आयुक्त कृषि

दिनांक- 16/10/17

क्रमांक एफ 5(4) कृ.प्र./ए.फो./2017-18/ 7780-7922

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय कृषि मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि एवं उद्यानिकी राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त कृषि, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त जिला कलक्टर -----
6. निदेशक उद्यान, राजस्थान, जयपुर।
7. अपर निदेशक कृषि (विस्तार/आदान/अनुसंधान/समन्वय/एन.एम.ओ.ओ.पी.) मुख्यालय, जयपुर।
8. निदेशक, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर
9. निदेशक समेती (आत्मा), दुर्गापुरा जयपुर
10. समस्त खण्डीय संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार/तिलहन)/परियोजना निदेशक सीएडी कोटा.....।
11. संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार/योजना/आदान/पौंसं/गुनि/जउउप्र/शस्य- एटीसी/प्रो एवं मू/सांख्यिकी/रसायन/प्रशासन/फसल बीमा/आरकेवीवाई), मुख्यालय जयपुर।
12. समस्त उप निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद/उप निदेशक कृषि (विस्तार), आईजीएनपी बीकानेर.....।
13. उप निदेशक कृषि (विस्तार/अभियांत्रिकी/बीज/उर्वरक/सांख्यिकी/सूचना) मुख्यालय जयपुर।
14. आरक्षी पत्रावली।

(एल.एन. कुमावत)  
अपर निदेशक कृषि (विस्तार)

**राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन (NMSA) अन्तर्गत  
कृषि वानिकी सब मिशन (SMAF) कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश वर्ष  
2017-18**

राजस्थान में कृषि वर्षा पर आधारित है। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन, असमान एवं छितराई वर्षा, खेती को जोखिम पूर्ण व कम उत्पादन की ओर ले जा रही है। जिससे कृषकों को उत्पादन एवं उत्पादकता को बनाये रखना मुश्किल हो रहा है। सूक्ष्म जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, जलवायु की अनिश्चितता एवं कृषि में जोखिम को देखते हुए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति 2014 बनाई गई जिसका मुख्य उद्देश्य कृषि वानिकी क्षेत्र में संगठित रूप से विकास करना है।

राष्ट्रीय टिकाऊ खेती योजना (NMSA) के तहत कृषि वानिकी सब मिशन (SMAF) की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य कृषि भूमि पर वृक्ष आच्छादित कर कृषि आय के साथ पूरक रूप में कार्य करना है। मिशन का मुख्य उद्देश्य वृक्ष आच्छादन बढ़ाकर कार्बन उत्सर्जन को कम करना, मृदा में जैविक तत्वों की वृद्धि, गुणवत्ता युक्त रोपण सामग्री (Planting Material) की उपलब्धता सुनिश्चित करना, जीवन स्तर में सुधार, फसल एवं फसल पद्धति द्वारा उत्पादकता वृद्धि और सूचना तंत्र का विकास मुख्य हैं।

**उद्देश्य :-**

1. कृषि एवं पशुपालन में उत्पादकता बढ़ाने के साथ-साथ वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, रोजगार बढ़ाना, आमदनी बढ़ाना और ग्रामीण परिवारों की विशेष रूप से छोटे कृषकों के जीवन स्तर में सुधार करना।
2. गुणवत्ता युक्त रोपण सामग्री (Planting Material) जैसे बीज, पौध, संकर किस्मों (Hybrids) व उन्नत किस्मों आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
3. विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्र एवं भू-उपयोग को देखते हुये कृषि वानिकी मॉडलस का प्रचार-प्रसार करना।
4. कृषि वानिकी के क्षेत्र में आंकड़े (डाटा बेस), सूचना एवं जानकारी तैयार करना।
5. कृषि वानिकी क्षेत्र में प्रसार एवं प्रशिक्षण भ्रमण आदि से दक्षता बढ़ाने के कार्य करना।

**मिशन ब्यूह रचना (Strategy) :-**

कृषि वानिकी क्षेत्र में उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु कृषि वानिकी सब मिशन (SMAF) निम्न ब्यूह रचना के अनुसार कार्य करेगा:-

1. कृषि भूमि पर उपयुक्त वृक्षारोपण कर स्थानीय कृषि जलवायु व भूमि उपयोग को देखते हुए जीवन यापन, वातावरण एवं जैव विविधिकरण सुरक्षा को बढ़ावा देकर, फसल और फसल पद्धति व पशुपालन के साथ कृषि भूमि पर कार्य करना।
2. गुणवत्ता युक्त रोपण सामग्री (Planting Material) जैसे बीज, पौध, क्लोन, उन्नत किस्मों तैयार करने हेतु छोटी नर्सरियों व हाईटेक बड़ी नर्सरियों को तैयार कर किसानों की आवश्यकता के अनुरूप उपलब्ध कराना।
3. स्थानीय कृषि जलवायु व भू-उपयोग को देखते हुये जलवायु परिवर्तन के अनुरूप कृषि वानिकी मॉडलस तैयार करना।

